15/12/25 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्व कृषि भूमि का विभाजन एवं रास्ता स्वीकृति हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर वर्णित आराजी में गै0मु0 रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु निवेदन किया था। उपरोक्त वाद पत्र में कृषि भूमि विभाजन व रास्ता स्वीकृति के भिन्न–भिन्न अनुतोष एवं भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के विरूद्व चाहे गये है उपरोक्त वादपत्र में प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है जबकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के विरूद्व रास्ता स्वीकृति हेतु अनुतोष चाहा गया है जबकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के विरूद्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पेश कर रास्ता का अनुतोष प्राप्त करना चाहती है। अतः उपरोक्त प्रारूपिक त्रुटि रहने के कारण वादीया का वाद असफल हो सकता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23 नियम 1 सीपीसी के समर्थन में अधिवक्ता प्रार्थी ने माननीय राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान की सिविल रीट पीट 2484 ऑफ 2024 प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार नया वाद एवं पार्थना पत्र 251ए की अनुमति के साथ उक्त वाद प्रत्याहरित किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अनुतोष भिन्न होने के कारण वादीया नया वाद 53 आरटीए एवं 251ए आरटीए का प्रस्तुत करना चाहती है स्वीकार नहीं है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत वाद खाता विभाजन व 251ए आरटीए का पेश किया गया है। जिसमें रास्ता स्वीकृति का अनुतोष चाहा गया है इसलिए ऐसी स्थिति में वादीया/प्रार्थीया को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ उक्त वाद प्रत्याहरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया विधि विरूद्व होने के कारण सव्यय खारीज किया जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्यायायिक दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा में जैरकार वाद वादीया ने अन्तर्गत धारा 53–251ए आरटीए प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उक्त धाराओं में चाहे गये अनुतोष का प्रावधान अलग–अलग है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र का निस्तारण Summary Trial द्वारा जबकि धारा 53 आरटीए का निस्तारण साक्ष्य सबूतों आदि के आधार पर गुणावगुण के आधार पर होना होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया । वर्तमान में पत्रावली में अप्रार्थीगण की ओर से कोई काउन्टर क्लैम आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही पत्रावली तनकी आदि की स्टेज पर है। प्रार्थीया उक्त वाद को नये वाद की अनुमति के साथ विड्रा करवाना चाहती है जिससे कानूनन अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एवं प्रार्थीया कानूनन वाद को विड्रा करने के लिए एवं नये वाद को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा में जैरकार अनवान कलावती बनाम कृष्णकुमार प्रकरण स0 42/2024 इसी स्तर पर विड्रा किया जाता है । प्रार्थीया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुंसगत धाराओं के साथ नया वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी